



2026:AHC:7398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या 6 सन् 2026

श्रीमती अंजना राणा

.....आवेदक(गण)

बनाम

नवीन सिंह

.....विपक्षी(गण)

आवेदकगण के अधिवक्ता :रघुराज सिंह, विजय पाल

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

न्यायालय संख्या - 35

ए.एफ.आर.

माननीय न्यायमूर्ति, डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रघुराज सिंह को सुना गया।
2. आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अन्तर्गत वर्तमान स्थानांतरण आवेदन दायर किया गया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा के समक्ष लंबित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत संस्थित मामला संख्या 1226 सन् 2023 (नवीन बनाम अंजना) को फिरोजाबाद स्थित सक्षम परिवार न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
3. आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी पक्षकार द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद का मामला संख्या 1226 सन् 2023 दिनांक 16.05.2023 को आगरा के परिवार न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थित किया गया था।
4. स्थानांतरण आवेदन के समर्थन में दिया गया मुख्य आधार यह है कि आवेदक ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 12, 17, 18, 19, 20 और 22 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के न्यायालय में कार्यवाही शुरू की है, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अन्तर्गत भरण-पोषण की मांग

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फिरोजाबाद के समक्ष दिनांक 17.04.2025 को कार्यवाही शुरू की है, जो लंबित बताई जा रही हैं।

5. यद्यपि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात से अस्वीकार नहीं किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाही आगरा परिवार न्यायालय में लंबित विवाह विच्छेद याचिका के बहुत बाद शुरू की गई थी।

6. यह सर्वविदित है कि वैवाहिक कार्यवाही के स्थानांतरण के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को यह जांच करनी होती है कि क्या न्याय के हित में स्थानांतरण को उचित ठहराने वाली कोई वास्तविक कठिनाई, गंभीर असुविधा या असाधारण परिस्थिति स्थापित हुई है। केवल असुविधा या किसी एक पक्ष की प्राथमिकता, बिना पुख्ता परिस्थितियों के, स्वतः ही कार्यवाही के स्थानांतरण को उचित नहीं ठहराती।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत इस न्यायालय को प्रदत्त स्थानांतरण की शक्ति विवेकाधीन है और न्यायालय को किसी पक्ष के आवेदन पर या स्वतः ही किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने या वापस लेने में सक्षम बनाती है। यद्यपि, ऐसी शक्ति का प्रयोग यंत्रवत या नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

8. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि वादी, *मुकदमे का स्वामी* होने के नाते, कार्यवाही शुरू करने के लिए मंच चुनने का अधिकार रखता है, और इस चुनाव का सामान्यतः सम्मान किया जाना चाहिए। वादी द्वारा चुने गए मंच में हस्तक्षेप अपवाद है, नियम नहीं। स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय को निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के दायित्व के विरुद्ध इस अधिकार को संतुलित करना आवश्यक है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. "सुविधा का संतुलन" की अवधारणा एक प्रासंगिक विचारणीय बिंदु है; यद्यपि, इसे केवल एक पक्ष की सुविधा तक सीमित नहीं किया जा सकता है और इसमें दोनों पक्षकारों, साक्षियों की सुविधा, साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मंच की उपयुक्तता और सुविधाजनक मंच के सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए।

10. किसी मामले को स्थानांतरित करने के अधिकार का प्रयोग अत्यंत सावधानी, सतर्कता और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। मात्र असुविधा या सापेक्ष कठिनाई, यद्यपि प्रासंगिक है, स्वयं स्थानांतरण का निर्णायक आधार नहीं हो सकती। यह साबित करने का भार पूरी तरह से आवेदक पर है कि स्थानांतरण से अस्वीकार करने पर न्याय से वंचित होना पड़ेगा इसके लिए पर्याप्त, ठोस और बाध्यकारी आधार स्थापित करने होंगे।

11. आपराधिक मामले के स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका के संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने **मेनका संजय गांधी और अन्य बनाम रानी जेठमलानी** के मामले में स्थानांतरण के मानदंडों की जांच की। इस संबंध में मूलभूत सिद्धांत यह कहते हुए निर्धारित किया गया कि: "निष्पक्ष विचारण का आश्वासन न्याय प्रदान करने की पहली अनिवार्यता है और स्थानांतरण के लिए याचिका दायर करते समय न्यायालय द्वारा विचार किया जाने वाला केंद्रीय मानदंड किसी पक्ष की अति संवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या विधिक सेवाओं की आसान उपलब्धता या इस तरह की छोटी-मोटी शिकायतें नहीं हैं। यदि न्यायालय को स्थानांतरण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, तो सार्वजनिक न्याय और उसके संबंधित वातावरण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक ठोस, अधिक बाध्यकारी, अधिक गंभीर होना आवश्यक है। यह मूलभूत सिद्धांत है यद्यपि परिस्थितियां विविध हों और मामले दर मामले भिन्न हों।"

12. इस बात पर जोर दिया गया कि मात्र असुविधा या व्यक्तिगत आशंका के आधार पर तब तक स्थानांतरण का आदेश नहीं दिया जा सकता, जब तक कि इसका विचारण की निष्पक्षता पर सीधा प्रभाव न हो।

13. **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम रामकृष्ण हेगड़े के मामले में**, धारा लिपिक प्रक्रिया संहिता की 25 के अन्तर्गत स्थानांतरण की शक्ति पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे के प्रभुत्व के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सिद्धांत को दोहराया और कहा कि यद्यपि सुविधा एक प्रासंगिक विचार है, सर्वोपरि कसौटी यह है कि क्या चयनित मंच में कार्यवाही जारी रखने से न्याय से वंचित होना पड़ेगा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से प्रेक्षित किया: “पक्षकारों या उनमें से किसी एक की मात्र सुविधा शक्ति के प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती बल्कि यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि चयनित मंच में विचारण चलाने से न्याय से वंचित होना पड़ेगा।”

14. यह भी स्पष्ट किया गया कि स्थानांतरण तभी उचित है जब न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य हो जाए, भले ही ऐसे स्थानांतरण से वादी को कुछ असुविधा हो।

15. कुलविंदर कौर @ कुलविंदर गुरचरण सिंह बनाम कंडी फ्रैंड्स एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य के मामले में मामलों के स्थानांतरण के लिए विचारणीय कारकों पर पुनः विचार किया गया और यह पाया गया कि विभिन्न न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों द्वारा स्थानांतरण के आधार के रूप में कुछ व्यापक प्रस्ताव निर्धारित किए गए हैं। वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण के प्रश्न पर विचार करते समय प्रासंगिक कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: (i) वादी या प्रतिवादी या साक्षियों के लिए सुविधा या असुविधा का संतुलन; (ii) वाद में शामिल बिंदुओं पर साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष विचारण के स्थान की सुविधा या असुविधा; (iii) पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे; (iv) वादी के मन में यह उचित आशंका कि उसे उस न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा जिसमें वाद लंबित है; (v) शामिल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न या मुकदमे में रुचि रखने वाले जनता का एक बड़ा वर्ग; (vi) मामले के स्थानांतरण की मांग करने वाला "न्याय का हित", आदि कुछ प्रासंगिक उदाहरण हैं। यद्यपि, यह, चेतावनी दी गई कि ये उदाहरण केवल दृष्टांत मात्र हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

16. वैवाहिक मामलों से संबंधित मामलों में, पत्नी की सुविधा एक प्रासंगिक कारक हो सकती है, जैसा कि अंजली अशोक साधवानी बनाम अशोक किशिनचंद साधवानी और फातिमा बनाम जाफरी सैयद हुसैन @ सैयद परवेज़ जाफरी में अभिनिर्धारित किया गया। यद्यपि, ऐसे मामलों में भी, वास्तविक कठिनाई का प्रमाण देना आवश्यक होगा, जैसे लंबी दूरी की यात्रा करने में असमर्थता, साथ में किसी साथी का न होना, या ऐसी परिस्थितियाँ जो कार्यवाही में भागीदारी को व्यावहारिक रूप से असंभव बना देती हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. यह लगातार माना गया है कि मात्र खर्च या कठिनाई स्वतः ही स्थानांतरण को उचित नहीं ठहराती, जब तक कि ऐसी कठिनाई इतनी अधिक न हो कि अन्याय हो। न्यायालयों ने इस बात पर जोर दिया है कि वादी के पास न्यायालय चुनने का विकल्प है और वादी को इस विकल्प से वंचित करने के लिए बहुत ठोस कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए **(पी. सदायांडी नादर बनाम वेणुगोपाला चेट्टी; सत्यश्री फर्टिलाइजर्स बनाम ई.आई.डी. पैरी (इंडिया) लिमिटेड)**। बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उचित आधार बनते हैं और उसे निराधार या अस्पष्ट आरोपों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए **(श्रीमती सुधा शर्मा बनाम राम नरेश जायसवाल)**।

18. वर्तमान मामले में, आगरा में कार्यवाही में उपस्थित होने में कठिनाई के सामान्य दावे के अलावा, ऐसा कोई विशिष्ट प्रमाण अभिलेख पर नहीं लाया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि आवेदक आगरा परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने या प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है।

19. यह भी निर्विवाद है कि फिरोजाबाद आगरा का पड़ोसी जिला है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी इतनी नहीं है कि इसे अपने आप में असहनीय कठिनाई या पूर्वाग्रह का कारण कहा जा सके।

20. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 12, 17, 18, 19, 20 और 22 के अन्तर्गत 24.01.2025 को शुरू की गई कार्यवाही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के अन्तर्गत 17.04.2025 को फिरोजाबाद परिवार न्यायालय में शुरू की गई कार्यवाही, पहले से लंबित विवाह विच्छेद के मुकदमों के बाद शुरू की गई थीं। ऐसी परिस्थितियों में, फिरोजाबाद में बाद में कार्यवाही शुरू करना, पहले से शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने का वैध या विधिक रूप से मान्य आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आवेदक द्वारा बाद में शुरू की गई कार्यवाही के कारण पहले चुने गए न्यायालय को हटाया नहीं जा सकता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21. आवेदक ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि विवाह विच्छेद याचिका के स्थानांतरण के लिए कोई अन्य असाधारण परिस्थिति आवश्यक थी। ऐसे दस्तावेज के अभाव में, न्यायालय का यह मत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत स्थानांतरण की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण या बाध्यकारी आधार सिद्ध नहीं हुआ है।

22. वर्तमान स्थानांतरण आवेदन गुण-दोष से रहित है।

23. तदनुसार, इसे **अस्वीकार** किया जाता है।

(डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

अरुण के. सिंह

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"